न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 90/2023

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. तरसेमसिंह
2. केवलसिंह

पुत्रगण जीतसिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासीगण लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. मलकीत कौर पत्नी जीत सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. वीरा कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री छोटा सिंह पत्नी दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0) हाल आबाद पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़,
3. जगसीर सिंह पुत्र अमरजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्री छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
4. हरप्रीत कौर पुत्री अमरजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्री छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0) हाल पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
5. राजविन्द्र कौर उर्फ राजवन्त कौर पत्नी इकबालजीत सिंह पुत्री अमरजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्री छोटा सिंह निवासी लालवाई तहसील लम्बी जिला मुक्तसर साहिब पंजाब
6. गुरचरण सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
7. बलविन्द्र कौर पत्नी गमदूर सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
8. गुरविन्द्र सिंह पुत्र गमदूर सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री परविन्द्र सिंह – वकील वादीगण
2. श्री कैलाश सिवल – वकील प्रति.सं. 1
3. श्री बंटूश बिश्नोई – वकील प्रति.सं. 2 ता 5
4. श्री हरबंस सिंह झोरड – वकील प्रति.सं. 6 ता 8

निर्णय दिनांक :– 7-7-2023

वादीगण तरसेम सिंह वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 24.02.2023 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार–2–

अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। कि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 तथा प्रतिवादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के नाम तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 की दादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 6 की माता तथा प्रतिवादी सं 3 ता 5 की नानी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 7 की सास गुरमेल कौर के नाम से चक नं0 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता से 80/49 खाता केवलसिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में 1.519 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो प्रतिवादीगण एवं वादीगण की विरास्तन कृषिभूमि है। कि वादीगण एवं प्रतिवादी 8 की दादी प्रतिवादी सं 2 व 6 की माता एवं प्रतिवादी सं 3 ता 5 की नानी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 7 की सास गुरमेलकौर पत्नी छौटासिंह की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण को गुरमेलकौर के नाम चक नं० 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं 80/49 खाता केवल सिंह आदि जमाबन्दी सम्वंत 2072–2075 में दर्ज 1/6 हिस्सा कृषि भूमि के विरास्तन हिस्सेदार काश्तकार है। यह कि प्रतिवादी सं 02 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी सं 3 ता 5 वादीगण के बुआ की लडकीया व लड़का/भाई बहिन है। यह कि प्रतिवादी सं. 01 वादीगण की माता है तथा प्रतिवादी सं. 06 वादीगण का चाचा लगता है तथा प्रतिवादी संख्या 07 वादीगण की चाची एवं प्रतिवादी सं. 08 वादीगण का चचेरा भाई है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 2 बीराकौर उर्फ जसविन्द्रकौर ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब कर दिया है अब प्रतिवादी सं. 2 अपना हक व हिस्सा नही रखना चाहती है। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 02 के नाम दर्ज बाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि के हक हिस्सा के बहिब खातेदार काश्तकार हो चुके है इसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 03 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 3 ता 5 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में बहिब कर दिया है अब प्रतिवादी सं. 3 ता 5 अपना हक व हिस्सा नही रखना चाहते है। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा प्रत्येक वाद पत्र की चरण सं. 03 में वर्णित कृषि भूमि के हक हिस्सा के ब.हि.ब खातेदार काश्तकार हो चुके है इसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि बाद पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कृषिभूमि में प्रतिवादी सं. 2 ता, 8 ने अपनी माता/दादी/सास/नानी गुरमेलकौर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा कृषि भूमि मे से प्राप्त अपने–अपने विरास्तन हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब कर दिया है अब प्रतिवादी सं0 2 ता 8 अपना हक व हिस्सा नहीं रखना चाहते है। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 2 ता 8 को

लगातार–3–

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गुरमेलकौर से प्राप्त विरासतन हक व हिस्सा जो वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि के हक हिस्सा के ब.हि.ब खातेदार काश्तकार हो चुके है इसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 9 का ज्वाब दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबन्दी चक नं0 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता से 80/49 खाता केवलसिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में 1.519 हैक्ट. नहरी कृषि नहरी कृषि भूमि प्रदर्श की गई जो प्रदर्श 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वादीगण को चक नं 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं 80/49 खाता केवल सिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी सं. 2 बीरा कौर का 1/6 हिस्सा कृषिभूमि व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा प्रत्येक नहरी कृषि भूमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जावे। तथा कि घोषणा इस आशय की फरमाई जाये कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 को चक में 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं 80/49 खाता केवल सिंह आदि जमाबन्दी सम्वंत 2072–2075 में प्रतिवादी सं. 2 ता 8 को अपनी माता/नानी/सास/दादी गुरमलकौर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा कृषि भूमि मे से अपना विरास्तन हक हिस्से की कृषिभूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गुरमेल कौर पत्नी छोटासिंह का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण की ओर से कुल 1 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार–4–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वादीगण को चक नं 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं 80/49 खाता केवल सिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी सं. 2 बीरा कौर का 1/6 हिस्सा कृषिभूमि व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा प्रत्येक नहरी कृषि भूमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जावे। तथा कि घोषणा इस आशय की फरमाई जाये कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 को चक में 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं 80/49 खाता केवल सिंह आदि जमाबन्दी सम्वंत 2072–2075 में गुरमेलकौर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा कृषि भूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गुरमेल कौर पत्नी छोटासिंह का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 7-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 90/2023

वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. तरसेमसिंह
2. केवलसिंह

} पुत्रगण जीतसिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासीगण लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

1. सलकीत कौर पत्नी जीत सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. वीरा कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री छोटा सिंह पत्नी दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0) हाल आबाद पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज0)
3. जगसीर सिंह पुत्र अमरजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्री छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
4. हरप्रीत कौर पुत्री अमरजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्री छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0) हाल पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज0)
5. राजविन्द्र कौर उर्फ राजवन्त कौर पत्नी इकबालजीत सिंह पुत्री अमरजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्री छोटा सिंह निवासी लालवाई तहसील लम्बी जिला मुक्तसर साहिब पंजाब
6. गुरचरण सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
7. बलविन्द्र कौर पत्नी गमदूर सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
8. गुरविन्द्र सिंह पुत्र गमदूर सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 7-7-2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह एडवोकेट वादीगण व श्री कैलाश सिवल एडवोकेट व श्री बंटूश बिश्नोई एडवोकेट श्री हरबंस सिंह झोरड एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वादीगण को चक नं 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं 80/49 खाता केवल सिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी सं. 2 बीरा कौर का 1/6 हिस्सा कृषिभूमि व

लगातार–2–

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा प्रत्येक नहरी कृषि भूमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 को चक में 4 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं 80/49 खाता केवल सिंह आदि जमाबन्दी सम्वंत 2072–2075 में गुरमेल कौर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा कृषि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गुरमेल कौर पत्नी छोटासिंह का नाम कलमजन किया जाता हैं।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ...X...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7-7-2023 जारी किया गया।

7/7/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official